2024/109

फर्द हुक्म

न्यायालय अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

[illegible]

मिसल नम्बर ... (प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा) मुकदमा 19 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म मय फैसला मय हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.3.24	प्रार्थना पत्र बाजदायरी प्रार्थी द्वारा पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता दिनांक 06.03.2024 को आवश्यक कारणवश न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था एवं माननीय न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र को पुनः नम्बर पर लिया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मूल पत्रावली अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.03.2024 को अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया गया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 रूल 09 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार कर मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 39 / 2022 को पुनः नम्बर पर लेने एवं आदेश दिनांक 06.03.2024 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	